POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 18.02.2025

1.थाना जेवर पुलिस द्वारा वांछित 02 अभियुक्ता व 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 04/09/2024 को वादी द्वारा थाना जेवर पर आकर तहरीर दी गई थी कि अभियुक्तगण 1.प्रिया पुत्री स्व0 राजवीर सिंह 2.सती पत्नी स्व0 राजवीर सिंह 3.हेमा पुत्री कान्हा 4.कान्हा पुत्र नामालूम समस्त निवासीगण ग्राम नगला जयसिंह, थाना सुरीर, जिला मथुरा द्वारा वादी से प्रिया की शादी कराई गयी थी तथा वादी के घर से बाहर जाने पर उपरोक्त सभी अभियुक्तगण वादी के घर से रखी नकदी, सोने, चाँदी के आभूषण चुरा ले गये है। वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जेवर पर मु0अ0सं0 293/2024 धारा 303(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया था। विवेचना व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 318(3)/308(3)/317(2)/3(5) बी.एन.एस की बढ़ोत्तरी की गयी थी। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्ता हेमा को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्तगण प्रिया, सती व कान्हा वांछित चल रहे थे।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18/02/2025** को थाना जेवर पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1-प्रिया पुत्री स्व0 राजवीर सिंह 2-सती पत्नी स्व0 राजवीर सिंह 3-कान्हा पुत्र रूमाल को यमुना एक्सप्रेस-वे पर खुर्जा अण्डर पास के ऊपर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्ता का विवरण--

1. प्रिया पुत्री स्व0 राजवीर सिंह निवासी नगला जयसिंह, थाना सुरीर, मथुरा।
2. सती पत्नी स्व0 राजवीर सिंह निवासी नगला जयसिंह, थाना सुरीर, मथुरा।

अभियुक्त का विवरण--

कान्हा पुत्र रूमाल निवासी नगला जयसिंह, थाना सुरीर, मथुरा।

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 293/2024 धारा 303(2)/318(3)/308(3)/317(2)/3(5) बी.एन.एस थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 107 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.02.2025** को **थाना सेक्टर-63** नोएडा पुलिस टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाला एक अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र कमल सिंह को बहलोलपुर अण्डरपास के पास सर्विस रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से समय 107 पव्वे अवैध शराब बरामद किये गये है।

अभियुक्त का विवरण--

सत्यप्रकाश पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम जखेरा, थाना कोतवाली अलीगढ़ जिला अलीगढ वर्तमान निवासी बहलोलपुर, थाना सेक्टर-63, नोएडा (उम्र 30 वर्ष)

बरामदगी का विवरण--

107 पव्वे देशी शराब

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 75/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 382/2021 धारा 188/269/270 भादवि थाना फेस-3, नोएडा।

3. थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.02.2025** को **थाना सेक्टर-63** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 75/2024 धारा 420/406/467/468/471/504/506/120 बी भादवि थाना सेक्टर-63 नोएडा के अंतर्गत विवेचानात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त राकेश पुत्र हरि सिंह को जिम्स अस्पताल के पास से तथा अन्य नामित अभियुक्त इन्दर पुत्र किशन को ग्राम धनौरी से **गिरफ्तार** किया गया है।

दिनांक 22.02.2024 को वादिया द्वारा थाना सेक्टर-63 पर तहरीर दी कि अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार चौहान एवं इंदर द्वारा वादिया को जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादिया से रूपये हडप

लिये व पैसे वापस मांगने पर वादिया के साथ गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये अभियुक्त शैलेन्द्र चौहान को पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है।

अपराध कारित करने का तरीका-- अभियुक्तों द्वारा वादिया से 7 प्रतिशत किसान कोटा का प्लाट सेक्टर-18 जेवर ऐयरपोर्ट के पास दिलाने की बात की गई थी तथा अभियुक्त इन्दर के नाम से 120 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री वादिया के नाम करा दी थी तथा 16,35,000/-रू0 अपने फर्म के बैंक अकाउन्ट में ले लिये थे। इसके बाद अभियुक्तों द्वारा वादिया से एक और दूसरा प्लाट दिलाने के नाम पर अपने बैंक अकाउन्ट में 5,00,000/रू0 रजिस्टरी का एडवांस लिया गया था। जब वादिया द्वारा अगले प्लाट की रजिस्टरी का दबाव बनाया गया तो अभियुक्तगण आनाकानी करने लगे थे, जिस पर वादिया को शक हुआ और वादिया द्वारा अपने पुराने प्लाट की रजिस्टरी के पेपर लेकर यमुना प्राधिकरण के आफिस में जाकर जानकारी की गई तो पता चला कि अभियुक्तगण द्वारा द्वारा 0.2240 हेक्टेयर के स्थान पर 0.3360 हेक्टेयर पेपरों में करके रजिस्टरी कराई थी और नकली आरक्षण पत्र बनवाकर वादिया को दिया था। जबकि अभियुक्त इन्दर नाम के पास प्लाट 78.40 वर्ग मीटर का था और रजिस्टरी 120 वर्ग मीटर की कराई थी। जब वादिया द्वारा अपने पैसे वापस मांगे गये तो अभियुक्तगण द्वारा वादिया को 9,12,000/रूपये का चैक दिया गया जब वादिया चैक लेकर बैंक गई तो अभियुक्तगण/फर्म के खाते में कोई पैसा नहीं मिला।

अभियुक्तों का विवरण--

1. राकेश पुत्र हरि सिहं निवासी ग्राम धनौरी कला थाना दनकौर नोएडा (उम्र 39 वर्ष)
2. इन्दर पुत्र किशन निवासी ग्राम धनौरी कला थाना दनकौर नोएडा (उम्र 45 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 75/2024 धारा 420/406/467/468/471/504/506/120 बी भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा

4. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा गांजा तस्कर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 21 किलो गांजा, दो कपडे के रेडीमेन्ट बैग, घटना में प्रयुक्त गाडी बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.02.2025** को **थाना सूरजपुर पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये गांजा तस्कर 02 अभियुक्तों 1. मनोहर पुत्र मोतीकान्त 2. अभिषेक पुत्र

हेरल्ड को दादरी मैन रोड से बराही मन्दिर के पीछे पडे खाली मैदान के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के **कब्जे से 21 किलो गांजा, दो कपडे के रेडीमेन्ट बैग, घटना में प्रयुक्त गाडी बरामद ।**

अभियुक्तों का विवरण--

1. मनोहर पुत्र मोतीकान्त निवासी ग्राम दुर्गा नगर थाना गायघाट जिला मुज्जफरपुर (बिहार) वर्तमान पता त्यागी का मकान किराये का शंकर बिहार कालौनी लाल कुआँ थाना वेबसिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष ।
2. अभिषेक पुत्र हेरल्ड निवासी मौहल्ला विशन कम्पाउन्ड शेयर कोठी थाना सिविल लाइन रुडकी जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) वर्तमान पता न्यू अशोक नगर दिल्ली उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त मनोहर--**

1. मु0अ0सं0 64/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 109/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त अभिषेक--**

1. मु0अ0सं0 109/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

21 किलो गांजा मय घटना में प्रयुक्त गाडी कोरोला एल्टिस जी बिना नं0